

**न्यायालय :- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ढीमरखेडा,
जिला-कटनी (म०प्र०)
(समक्ष-पूर्वी तिवारी)
(निर्णय दिनांक :- 22.12.2025)**

आपराधिक प्रकरण क्र.-147/2017

फाईलिंग नं.-147/2017

सी.एन.आर.नं.-M.P.2106-000127-2017

संस्थित दिनांक-28.03.2017

**(पी.ओ. आर. क्रमांक-3057/04, वन परिक्षेत्र ढीमरखेडा,
जिला-कटनी (म.प्र.))**

शिकायतकर्ता	वन परिक्षेत्र ढीमरखेडा, जिला-कटनी।
इतिशेष द्वारा प्रतिनिधित्व	विशेष लोक अभियोजक सुश्री मंजुला श्रीवास्तव। एडीपीओ श्री विनोद सिंह लोधी।
अभियुक्तगण	1. गुलजारीलाल पिता जगन्नाथ यादव, उम्र-47 वर्ष 2. दीपक पिता गुलजारीलाल यादव, उम्र-35 वर्ष दोनों निवासी-ग्राम खिरवा पोड़ी, थाना व तहसील ढीमरखेडा, जिला-कटनी (म.प्र.) 3. सोनू पिता कोदूलाल भूमिया, उम्र-26 वर्ष 4. प्रमोद पिता बेडीलाल भूमिया, उम्र-35 वर्ष दोनों निवासी-ग्राम बड़ी पोड़ी, थाना व तहसील ढीमरखेडा, जिला-कटनी (म.प्र.)
अभियुक्तगण द्वारा प्रतिनिधित्व	श्री अटल बिहारी वाजपेयी, अधिवक्ता।



(Signature)
22/12/25

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेडा, जिला कटनी (म.प्र.)

फार्म-बी

अपराध की तारीख	29.01.2017
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	29.01.2017
आरोप-पत्र की तारीख	28.03.2017
आरोपों के विरचना की तारीख	31.10.2025
साक्ष्य प्रारम्भ किये जाने की तारीख	26.09.2025
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	22.12.2025
निर्णय की तारीख	22.12.2025
दण्डादेश, यदि कोई हो, की तारीख	22.12.2025

अभियुक्तगण का विवरण

अभियुक्तगण की श्रेणी	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी / धारा-41 द.प्र.सं. के सूचना पत्र की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति / दोषसिद्धि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
01.	गुलजा रीलाल पिता जगन्नाथ यादव	30.01.2017	06.02.2017	धारा-9, 39 सहपठित धारा-51 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972	दोषसिद्ध	धारा-51(1) के अधीन प्रत्येक धारा के अंतर्गत 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक अपराध हेतु 10,000-10,000 /- रुपये के अर्थदण्ड। इस प्रकार अभियुक्त पर अधिरोपित कुल अर्थदण्ड 20,000 /-	दिनांक 30.01.2017 से दिनांक 06.02.2017 तक कुल 07 दिन



(Handwritten Signature)
22/12/25

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डीमरखेड़ा, जिला कटवी (म.प्र.)

						रूपये	
02.	दीपक पिता गुलजा रीलाल यादव	30.01.2017	06.02.2017	धारा-39 सहपठित धारा-51 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972	यथोक्त	धारा-51(1) के अधीन 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000/- रूपये अर्थदण्ड।	दिनांक 30. 01.2017 से दिनांक 06. 02.2017 तक कुल 07 दिन
03.	सोनू पिता कोदूला ल भूमिया	30.01.2017	06.02.2017	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	दिनांक 30. 01.2017 से दिनांक 06. 02.2017 तक कुल 07 दिन
04.	प्रमोद पिता बेडीला ल भूमिया	20.02.2017	21.02.2017	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त	दिनांक 20. 02.2017 से 21.02.2017 तक कुल 01 दिन

प्रारूप-च

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
अ.सा. 1	रामफल पटेल	जप्ती/पंचनामा/कथन साक्षी
अ.सा. 2	दीपक भारतीय	नक्शा/गिरफ्तारी/जप्ती/पंचनामा/कथन साक्षी


 22/12/25
 (पूर्वी तिवारी)
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 डीमरखेड़ा, जिला कटकी (म.प्र.)

अ.सा. 3	कालीचरण गडारी	नक्शा / पंचनामा / गिरफ्तारी / कथन साक्षी
अ.सा. 4	छद्दी कोल	नक्शा / पंचनामा / गिरफ्तारी / जप्ती / कथन साक्षी
अ.सा. 5	डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह पेन्द्रो	चिकित्सीय साक्षी
अ.सा. 6	एम.एस. भगतिया	अनुसंधान साक्षी

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
निरंक		

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई हो :-

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
निरंक		

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची :-

क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1 / अ.सा.1	मौका पंचनामा
2	प्रदर्श पी.2 / अ.सा.1	पंचनामा
3	प्रदर्श पी.3 / अ.सा.1	जप्ती पत्रक
4	प्रदर्श पी.4 / अ.सा.1	मौका पंचनामा


 22/12/25
 (पूर्व तिवारा)
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 डीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)



5	प्रदर्श पी.5/अ.सा.1	जप्ती पत्रक
6	प्रदर्श पी.6/अ.सा.1	साक्षी रामफल पटैल के कथन
7	प्रदर्श पी.7/अ.सा.1	साक्षी रामफल पटैल के कथन
8	प्रदर्श पी.8/अ.सा.1	रामफल पटैल के कथन
9	प्रदर्श पी.9/अ.सा.1	रामफल पटैल के कथन
10	प्रदर्श पी.10/अ.सा.1	मौका पंचनामा
11	प्रदर्श पी.11/अ.सा.1	फोटोग्राफ्स
12	प्रदर्श पी.12/अ.सा.1	फोटोग्राफ्स
13	प्रदर्श पी.13/अ.सा.1	सीलबंद पंचनामा
14	प्रदर्श पी.14/अ.सा.1	साक्षी रामफल पटैल के कथन
15	प्रदर्श पी.15/अ.सा.2	जप्ती पत्रक
16	प्रदर्श पी.16/अ.सा.2	प्राथमिक वन अपराध प्रतिवेदन
17	प्रदर्श पी.17/अ.सा.2	नजरी नक्शा
18	प्रदर्श पी.18/अ.सा.2	नजरी नक्शा
19	प्रदर्श पी.19/अ.सा.2	नजरी नक्शा
20	प्रदर्श पी.20/अ.सा.2	साक्षी दीपक भारतीया के कथन
21	प्रदर्श पी.21/अ.सा.2	गिरफ्तारी पत्रक
22	प्रदर्श पी.22/अ.सा.2	गिरफ्तारी पत्रक
23	प्रदर्श पी.23/अ.सा.2	गिरफ्तारी पत्रक
24	प्रदर्श पी.24/अ.सा.2	पंचनामा
25	प्रदर्श पी.25/अ.सा.2	नजरी नक्शा
26	प्रदर्श पी.26/अ.सा.2	जप्ती पत्रक
27	प्रदर्श पी.27/अ.सा.2	सीलबंद पंचनामा
28	प्रदर्श पी.28/अ.सा.3	साक्षी छद्दी के कथन



Signature
22/12/25

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

29	प्रदर्श पी.29/अ.सा.3	साक्षी नरेश के कथन
30	प्रदर्श पी.30/अ.सा.3	अभियुक्त सोनू के कबूलियत कथन
31	प्रदर्श पी.31/अ.सा.3	अभियुक्त दीपक यादव के कथन
32	प्रदर्श पी.32/अ.सा.3	अभियुक्त गुलजारीलाल के कबूलियत कथन
33	प्रदर्श पी.33/अ.सा.3	अभियुक्त प्रमोद के कबूलियत कथन
34	प्रदर्श पी.34/अ.सा.3	गिरफ्तारी पत्रक
35	प्रदर्श पी.35/अ.सा.5	पत्र पोस्टमार्टम करने बाबत
36	प्रदर्श पी.36/अ.सा.5	शव परीक्षण रिपोर्ट

ख. प्रतिरक्षा

स. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक		

ग. न्यायालयीन प्रदर्श

स. क्र.	प्रदर्श संख्या	विवरण
निरंक		

घ. आवश्यक वस्तुएं

सं. क्र.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	आर्टिकल ए-01	कुल्हाड़ी
2	आर्टिकल ए-02	बरगद की लकड़ी
3	आर्टिकल ए-03	जी.आई. तार एवं बांस की लकड़ी
4	आर्टिकल ए-04	लोहे का बका


 22/12/25

(पूजा शर्मा)
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 कैमरखेड़ा, जिला कटकी (म.प्र.)



// निर्णय //


01. अभियुक्त गुलजारीलाल पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-9, 39 सहपठित धारा-51 के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक-28.01.2017 को रात्रि लगभग 11:00 बजे, आरक्षी केन्द्र ढीमरखेड़ा अन्तर्गत ग्राम खिरवा पौड़ी स्थित स्वयं के खेत में अनुसूची-03 में विनिर्दिष्ट वन्यप्राणी चीतल का खेत पर जी.आई. तार से बिजली करंट फैलाकर आखेट किया एवं अभियुक्तगण गुलजारीलाल, सोनू, दीपक एवं प्रमोद पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-39 सहपठित धारा-51 के अंतर्गत आरोप है कि वह दिनांक-29.01.2017 को शाम लगभग 06:15 बजे, उक्त स्थान पर अनुसूची-03 में विनिर्दिष्ट वन्यप्राणी चीतल के शव के आधिपत्य में होना पाए गए।

02. अभियोजन कथा के अनुसार दिनांक-28.01.2017 की रात्रि गुलजारीलाल यादव द्वारा अपने खेत में जी.आई.आर. तार से बिजली करंट फैलाकर नर चीतल का शिकार किया गया। गुलजारीलाल ने अपने पुत्र दीपक के साथ मिलकर दूसरे दिन चीतल को घसीटकर नाले के पास छुपा दिया और दीपक से गुलजारी ने बोला कि गांव के लड़कों को लेकर आओ, क्योंकि चीतल को काटना है। शाम को गुलजारीलाल, दीपक, सोनू एवं प्रमोद मरे चीतल के पास गये और दीपक, सोनू, प्रमोद चीतल की टांग काटने लगे व गुलजारीलाल टीले में बैठ गया। कुछ देर बाद गुलजारीलाल चीतल की एक टांग लेकर अपने खेत चला गया। चौकीदार छद्दीलाल कोल द्वारा उक्त घटना की सूचना दीपक भारतीय को दी गयी, जिनके द्वारा मौके पर वन अधिकारियों सहित पहुंचकर घटना की तस्दीक की गयी। मौके से चारों अभियुक्तगण फरार पाए गए। जांच में अभियुक्त गुलजारीलाल यादव एवं उसके लड़के दीपक कुमार यादव को उनके खेत की मड़ैया से तथा सोनू भूमिया को उसके घर से लाकर पूछताछ करने पर उपरोक्त अपराध कबूल कर घटनास्थल शिनाख्त कराया गया। इसके अतिरिक्त अभियुक्त प्रमोद घर से फरार होने के बाद दिनांक-20.02.2017 को न्यायालय ढीमरखेड़ा में आत्मसमर्पण करने पर उससे पूछताछ करने पर शिकार किए गए चीतल काटने में साथ रहना कबूल किया गया है। पी.ओ. आर. क्रमांक 3057/04 की रिपोर्ट के आधार पर वन परिक्षेत्र,


22/12/25

(पूर्वी लिचारी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)



ढीमरखेड़ा द्वारा अभियुक्तगण गुलजारीलाल, सोनू, दीपक एवं प्रमोद के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण गुलजारीलाल, दीपक, सोनू को उपरोक्त अपराध कबूल कर घटनास्थल शिनाख्तगी कराई गई, अभियुक्त गुलजारीलाल यादव के खेत से जी.आई. तार, चीतल के तीन पैर, कुल्हाड़ी, बरगद की खून लगी लकड़ी, चीतल का सींग लगा सिर ढांचा सहित जप्त किया गया, अभियुक्तगण के काबूलियतनामा कथन लेखबद्ध किये गये, वरिष्ठ वन अधिकारी द्वारा साक्षीगण के कथन अभियुक्तगण की उपस्थिति में लेखबद्ध किए गए एवं अभियुक्तगण गुलजारीलाल, सोनू, दीपक एवं प्रमोद के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-9, 39 सहपठित धारा-51 का अपराध पाये जाने से अपराध कायम कर, विवेचना उपरांत पी.ओ.आर. क्रमांक 3057/04 से संबंधित मूल इशतगासा न्यायालय में दिनांक-28.03.2017 को प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्तगण गुलजारीलाल, सोनू, दीपक एवं प्रमोद को आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये जाने पर उन्होंने अपराध किये जाने से इंकार करते हुए विचारण की मांग की है तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-313 के अंतर्गत स्वयं को निर्दोष बताते हुए प्रकरण में झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है। अभियुक्तगण गुलजारीलाल, सोनू, दीपक एवं प्रमोद ने उनके बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

04. प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु है:-

01. क्या अभियुक्त गुलजारीलाल ने दिनांक-28.01.2017 को रात्रि लगभग 11:00 बजे, आरक्षी केन्द्र ढीमरखेड़ा अन्तर्गत ग्राम खिरवा पौड़ी स्थित गुलजारीलाल के खेत में अनुसूची-03 में विनिर्दिष्ट वन्यप्राणी चीतल का खेत पर जी.आई. तार से बिजली करंट फैलाकर आखेट किया ?

02. क्या अभियुक्तगण गुलजारीलाल, सोनू, दीपक एवं प्रमोद दिनांक-29.01.2017 को शाम लगभग 06:15 बजे, उक्त स्थान पर अनुसूची-03 में विनिर्दिष्ट वन्यप्राणी चीतल के शव के आधिपत्य में होना पाए गए ?

(Handwritten signature)
22/12/25

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)



--: निष्कर्ष एवं विवेचना ::--

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 व 02 के संबंध में :-

05. उपरोक्त विचारणीय प्रश्न परस्पर अनन्योनाश्रित होने के कारण, साक्ष्य एवं तथ्यों की पुनरावृत्ति को निवारित करने के आशय से उक्त विचारणीय प्रश्नों पर एक साथ विचार किया जाकर, उनका निराकरण किया जा रहा है।

06. रामफल पटेल (अ.सा. 01) ने उसकी साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि वह दिनांक-29.01.2017 को वन परिक्षेत्र, ढीमरखेड़ा की करौंदी बीट में वनरक्षक के पद पर पदस्थ था और उक्त दिनांक को जंगल में गस्त करने के दौरान शाम लगभग 06:15 बजे, सहायक परिक्षेत्र अधिकारी, उमरियापान कालीचरण गडारी द्वारा उसे फोन पर सूचना दी गई कि ग्राम खिरवा पोड़ी, बेलकुंड नदी के पास वन्य प्राणी के शिकार की सूचना मिली है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर रामफल पटेल और सुरक्षा श्रमिक कृष्णकुमार काष्ठी अभियुक्त गुलजारी के खेत पर पहुंचे थे, जहां कालीचरण गडारी, दीपक भारतीय एवं छद्दीलाल पूर्व से मौजूद थे। इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वहीं पर उसने देखा कि अभियुक्त गुलजारीलाल के खेत में चीतल की एक टांग पड़ी है और उसे दीपक भारतीय व छद्दीलाल ने बताया कि नाले में चीतल के दो और कटे हुए पैर पड़े हैं, जिन्हें अभियुक्तगण दीपक, सोनू, प्रमोण काट रहे थे और टॉर्च की रोशनी में देखने पर वह मौके से भाग गए।

07. साक्षी रामफल पटेल ने यह भी बताया है कि घटना की सूचना कालीचरण गडारी ने रेंजर, ढीमरखेड़ा को फोन के माध्यम से दी थी और मौके पर अभियुक्तगण से चीतल की तीन कटी हुई टांग, एक कुल्हाड़ी, खून लगी हुई, एक बरगद की लकड़ी को दीपक भारतीय द्वारा उसके व कृष्णकुमार के समक्ष जप्त किया गया था और अभियुक्त के खेत का मौका पंचनामा व नजरी नक्शा भी तैयार किया गया था। इस साक्षी ने अभियुक्त के खेत में बनी मड़ैया से दीपक भारतीय द्वारा उसके समक्ष 400 ग्राम जी. आई. तार जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 निर्मित होना बताया है। दिनांक-30.01.2017 को दीपक भारतीय द्वारा अभियुक्त के खेत के पास




 22/12/25
 (पूर्वा तिवारी)
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 ढीमरखेड़ा, जिला कटकी (म.प्र.)

नाले से नर चीतल के सिर का ढांचा, जिसमें सींग लगे हुए थे, का मौका पंचनामा प्रदर्श पी-04 एवं जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05 बनाया था, जिनके ए से ए भाग पर उक्त साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

08. इसके पश्चात् साक्षी रामफल पटेल के कथन सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा लिए गए थे, जो प्रदर्श पी-06 है और दिनांक-30.01.2017 को उप-वनमंडल अधिकारी एम.एस. भगतिया द्वारा साक्षी रामफल पटेल के कथन अभियुक्तगण गुलजारीलाल, दीपक, सोनू एवं प्रमोद के समक्ष लिए गए थे, जो क्रमशः प्रदर्श पी-07 लगायत प्रदर्श पी-09 व प्रदर्श पी-14 हैं तथा उनके ए से ए भाग पर साक्षी रामफल पटेल के हस्ताक्षर हैं। प्रदर्श पी-07 लगायत प्रदर्श पी-09 व प्रदर्श पी-14 के कथनों में क्रमशः अभियुक्तगण गुलजारीलाल, दीपक, सोनू एवं प्रमोद ने भी स्वेच्छयापूर्वक स्वयं के हस्ताक्षर किए थे। साक्षी रामफल पटेल ने यह भी कथन किया है कि दिनांक-30.01.2017 को झिंझरी रेस्ट हाउस परिसर, कटनी में रूपसिंह परस्ते द्वारा सभी के समक्ष वन्य प्राणी नर चीतल के शव के परीक्षण उपरांत उसे जलाकर नष्ट किया था, जिसका मौका पंचनामा प्रदर्श पी-10, छायाचित्र प्रदर्श पी-11 एवं प्रदर्श पी-12 हैं। इसी प्रकार अभियुक्त गुलजारीलाल से जप्त 400 ग्राम जी.आई. तार को उक्त साक्षी के समक्ष सीलबंद किया गया था, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी-13 है।

09. यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी रामफल पटेल के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तात्विक विरोधाभास समक्ष नहीं आए हैं, जो उक्त साक्षी की साक्ष्य को अविश्वसनीय निर्मित करें, अर्थात् साक्षी रामफल पटेल के मुख्यपरीक्षण के कथनों का खण्डन उसके प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है और यह साक्षी स्वयं की साक्ष्य में पूर्ण रूप से स्थिर रहा है।

10. अभियोजन साक्षी **दीपक भारतीय (अ.सा. 02)** ने उसकी साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि दिनांक-29.01.2017 को गस्ती के दौरान उसे सुरक्षा श्रमिक छद्दीलाल द्वारा दूरभाष पर अभियुक्त गुलजारीलाल के खेत में शिकार होने की सूचना दी गई थी, जिसके बाद वह मौके पर पहुंचे थे और खोजबीन की थी। इस साक्षी के कथनानुसार अभियुक्त गुलजारीलाल यादव के खेत में चीतल का एक पीछे का पैर मिला था।


22/1/25
(पुदी तिवारी)
व्यक्तिगत मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
श्रीमरखोड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)




इसके पश्चात् उक्त साक्षी और छद्दीलाल खेत के पास नाले तरफ गए, तब टॉर्च जलाकर देखने पर तीन व्यक्ति दीपक, सोनू और प्रमोद दिखाई दिए, जो चीतल के पैर काट रहे थे। साक्षी दीपक एवं छद्दीलाल ने उनका पीछा किया, तो वह अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए और मौके पर जाकर देखा कि नाले के पास वन्य प्राणी चीतल की दो टांग, खून लगी कुल्हाड़ी और बरगद की लकड़ी पड़ी थी, जिससे वह चीतल को काट रहे थे। घटना की सूचना उक्त साक्षी ने उसके वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी और अभियुक्त गुलजारीलाल के खेत से चीतल की तीन टांग, कुल्हाड़ी और बरगद की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-15 बनाया था।

11. इसी प्रकार अभियोजन साक्षी दीपक ने घटनास्थल का मौका पंचनामा बनाया था और अभियुक्तगण के विरुद्ध पी.ओ.आर. प्रदर्श पी-16 लेखबद्ध की थी। इस साक्षी द्वारा छद्दीलाल व कृष्णकुमार के समक्ष नजरी नक्शा प्रदर्श पी-17 तैयार किया गया था और अभियुक्त गुलजारीलाल से जी.आई. तार जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-03 भी तैयार किया था। प्रकरण में साक्षी दीपक भारतीय द्वारा जी.आई. तार जप्त करने के संबंध में नजरी नक्शा प्रदर्श पी-18, वन्य प्राणी चीतल के सिर और सींग की नाप-जोख के संबंध में मौका पंचनामा प्रदर्श पी-04, चीतल के सिर, सींग सहित पूरे ढांचे के संबंध में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-05, उक्त संबंध में नजरी नक्शा प्रदर्श पी-19, इस साक्षी के वन परिक्षेत्र सहायक कालीचरण गडारी द्वारा लिए गए कथन प्रदर्श पी-20, जप्तशुदा संपत्तियों के संबंध में सीलबंद पंचनामा प्रदर्श पी-13, अभियुक्तगण के गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-21 लगायत प्रदर्श पी-23, अभियुक्त प्रमोद की निशादेही पर निर्मित घटनास्थल का मौका पंचनामा प्रदर्श पी-24, नजरी नक्शा प्रदर्श पी-25, अभियुक्त प्रमोद से बके के संबंध में जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-26 एवं बके का सीलबंद पंचनामा प्रदर्श पी-27 तैयार किया गया है, जिनके ए से ए भाग पर साक्षी दीपक भारतीय के हस्ताक्षर हैं।

12. अभियोजन साक्षी दीपक भारतीय ने उसकी साक्ष्य में अभियुक्तगण से जप्त कुल्हाड़ी को आर्टिकल ए-01, बरगद की लकड़ी को आर्टिकल ए-02, अभियुक्त गुलजारीलाल से जप्त जी.आई. तार व बांस की लकड़ी आर्टिकल ए-03 एवं अभियुक्त प्रमोद से जप्त लोहे का बका को


22/12/25
(पूर्वा तैयारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
झीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)



आर्टिकल ए-04 के रूप में चिन्हित होना बताया है। अभियोजन साक्षी दीपक के मुख्य परीक्षण के कथनों व उसके द्वारा प्रकरण में की गई अनुसंधान कार्यवाहियों को प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है।

13. कालीचरण गडारी (अ.सा. 03) ने उनकी साक्ष्य में दिनांक-29.01.2017 को सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी, उमरियापान के पद पर पदस्थ रहते हुए, दीपक भारतीय द्वारा दूरभाष के माध्यम से अभियुक्त गुलजारीलाल के खेत के पास नाले में वन्य प्राणी चीतल का शव पड़े होने की सूचना प्राप्त होना बताया है। उक्त साक्षी के समक्ष दीपक भारतीय ने मौका पंचनामा की कार्यवाही और वन्य प्राणी चीतल के तीन पैर, कुल्हाड़ी और खून लगी हुई बरगद की लकड़ी को जप्त कर नजरी नक्शा बनाया था। इसी प्रकार दीपक भारतीय ने उनके समक्ष अभियुक्त गुलजारीलाल से जी.आई. तार जप्त किए थे और उसका नजरी नक्शा व मृत चीतल के सींग व ढांचे की नाप-जोख का मौका पंचनामा बनाया था। उक्त साक्षी ने दिनांक-30.01.2017 को साक्षीगण दीपक, रामफल पटेल, छद्दी एवं नरेश के कथन उनके द्वारा लेखबद्ध करना बताया है, जो क्रमशः प्रदर्श पी-20, प्रदर्श पी-06, प्रदर्श पी-28 एवं प्रदर्श पी-29 हैं, जिनके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

14. इसी प्रकार अभियोजन साक्षी कालीचरण गडारी द्वारा दिनांक-30.01.2017 को अभियुक्तगण सोनू, दीपक एवं गुलजारीलाल के कथन लेखबद्ध करना बताए हैं, जो प्रदर्श पी-30 लगायत प्रदर्श पी-32 और उक्त अभियुक्तगण के गिरफ्तारी पत्रक क्रमशः प्रदर्श पी-21 लगायत प्रदर्श पी-23 हैं, जिनके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं। इस साक्षी ने दिनांक-20.02.2017 को अभियुक्त प्रमोद के कथन लेखबद्ध किए थे, जो प्रदर्श पी-33 हैं और अभियुक्त प्रमोद का गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-34 है। कालीचरण गडारी द्वारा अभियुक्तगण की ओर से दिए गए कथनों पर स्वयं एवं प्रत्येक अभियुक्त के हस्ताक्षरों की पुष्टि की है। उक्त साक्षी ने दिनांक-21.02.2017 को उनके समक्ष साक्षी दीपक भारतीय द्वारा अभियुक्त प्रमोद की निशादेही पर घटनास्थल का पंचनामा प्रदर्श पी-24 और नजरी नक्शा प्रदर्श पी-25 तैयार करना बताया है, जिनके बी से बी भाग पर उक्त साक्षी के हस्ताक्षर हैं। अभियोजन साक्षी कालीचरण गडारी के प्रतिपरीक्षण में

Handwritten signature
22/12/25

(पूर्व विवरा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
झीमरखेड़ा, जिला कटकी (अ.प्र.)



भी ऐसे कोई तथ्य समक्ष नहीं आए हैं, जो उसके मुख्य परीक्षण के कथनों का खण्डन करें। अतः उक्त साक्षी के न्यायालयीन कथनों पर अविश्वास किए जाने का कोई आधार परिलक्षित नहीं होता है।

15. छद्दीलाल कोल (अ.सा. 04) ने उसकी साक्ष्य में अभियुक्तगण को पहचानते हुए, घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग 08 वर्ष पूर्व शाम 06:00 बजे की होना बताते हुए, यह व्यक्त किया है कि उसे नरेश ने बताया कि अभियुक्त गुलजारीलाल के खेत के पास अभियुक्तगण प्रमोद, सोनू, दीपक नाले में एक चीतल को काट रहे हैं। उक्त सूचना मिलने पर वह खेत पर गया, तो उसने देखा कि अभियुक्त गुलजारीलाल के खेत में चीतल की एक टांग पड़ी हुई थी और उसने जब गुलजारीलाल से पूछा कि चीतल की टांग कैसे पड़ी है, तो अभियुक्त गुलजारीलाल ने बताया कि उसने चीतल को करंट से मारा है। इसके पश्चात् साक्षी छद्दीलाल ने उक्त घटना की सूचना बीटगार्ड दीपक भारतीय को दी थी, जो मौके पर रामफल और कृष्णकुमार के साथ आए थे।

16. इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि अभियुक्त गुलजारीलाल के खेत के पास कुछ दूरी पर टॉर्च की रोशनी दिख रही थी, जिसे देखकर नाले के पास गए, तो पाया कि एक चीतल मरा पड़ा हुआ है और अभियुक्त दीपक, प्रमोद, सोनू चीतल को काट रहे हैं। टॉर्च की रोशनी पर देखे जाने और अभियुक्तगण को आवाज लगाने पर वह मौके से भाग गए और उनका पीछा किया तो वह नहीं मिले। इस साक्षी ने उसके समक्ष दीपक भारतीय द्वारा घटनास्थल का मौका पंचनामा, घटनास्थल से चीतल की टांग, ढांचा, जी.आई. तार, कुल्हाड़ी, बरगद की लकड़ी व बका जप्त कर जप्ती पत्रक निर्मित करने एवं मौका पंचनामा व नजरी नक्शा तैयार करने की कार्यवाहियां करना बताया है। उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि सहायक वन परिक्षेत्र अधिकारी, कालीचरण गडारी द्वारा उसके कथन लेखबद्ध किए गए थे, जो प्रदर्श पी-28 है तथा उसके बी से बी भाग पर साक्षी ने स्वयं के हस्ताक्षरों की पुष्टि की है। इस साक्षी ने यह भी व्यक्त किया है कि कालीचरण गडारी ने उसके समक्ष अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक निर्मित किए थे, जो प्रदर्श पी-21 लगायत प्रदर्श पी-23 व प्रदर्श पी-34 हैं।



(पूर्वी तिवारी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
दीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

श्री. श. तिवारी
न्यायिक मजिस्ट्रेट
(02102)

17. बचाव पक्ष ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि स्वतंत्र साक्षी छद्दीलाल ने उसके प्रतिपरीक्षण में प्रदर्श पी-01, 02, 03, 05, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26 के संबंध में उनमें क्या लिखा है, इस विषय पर जानकारी ना होना बताया है। अतः बचाव पक्ष के अनुसार छद्दीलाल की साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि साक्षी छद्दीलाल ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-12 में दस्तावेजों में लिखी इबारत के संबंध में जानकारी ना होना बताया है, परंतु उसने स्पष्ट रूप से स्वतः कथन में व्यक्त किया है कि अधिकारियों ने बताया था कि घटना की कार्यवाही कर रहे हैं, वह उसके दस्तावेज हैं। यह भी समक्ष आया है कि साक्षी छद्दीलाल अनपढ़ व्यक्ति है। ऐसी स्थिति में उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह स्वयं की साक्ष्य में अक्षरसः कार्यवाहियों का विवरण उद्धटित करें। उसके द्वारा स्वतः कथन में यह बताना कि अधिकारियों के द्वारा कार्यवाहियां कर दस्तावेज तैयार किए गए हैं, स्वयं में पर्याप्त है, जो इस ओर इंगित करता है कि साक्षी छद्दीलाल जप्ती, नजरी नक्शा, पंचनामा, कथन एवं अभियुक्तगण की गिरफ्तारी की कार्यवाहियों के समय उपस्थित था, जिसे उसने स्पष्ट रूप से अपने मुख्य परीक्षण में बताया है और उसका कोई खण्डन प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। परिणामस्वरूप बचाव पक्ष को उपरोक्त तर्क से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

18. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क किया है कि प्रदर्श पी-01 के पंचनामे में चीतल काटने की बात नहीं लिखी है, किंतु साक्षी छद्दीलाल ने उसकी साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा नाले के पास चीतल काटना बताया है। इस संबंध में यह अवलोकनीय है कि साक्षी छद्दीलाल ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट किया है कि मौके पर चीतल पड़ा हुआ था और जब उसने अभियुक्त गुलजारीलाल को आवाज दी, तब वह बाहर निकला और चीतल पड़ा देखकर साक्षी छद्दीलाल ने सोचा कि वह चीतल काट रहे हैं। इस साक्षी ने उसके प्रतिपरीक्षण की कंडिका-13 में अभियुक्त दीपक द्वारा चीतल की टांग कुल्हाड़ी से काटना, अभियुक्त प्रमोद द्वारा टॉर्च दिखाना और अभियुक्त सोनू द्वारा चीतल की टांग पकड़ा होना बताया है, क्योंकि यह तीनों वहां उपस्थित थे और मौके पर चीतल पड़ा हुआ था।

19. यह स्वाभाविक है कि यदि किसी स्थान पर मृत जीव, उसके

July 22, 2017

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
रीनस्वोडा, जिला कटकी (म.प्र.)




अंग व काटने के साधन (कुल्हाड़ी इत्यादि) पड़े हैं, जहां कुछ लोग उपस्थित हैं, तो ऐसी स्थिति में एक सामान्य बुद्धि/ज्ञान के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि कथित उपस्थित व्यक्तियों द्वारा ही उस जीव की हत्या की गई है। उपरोक्त तथ्य घटना की कड़ियों को परस्पर जोड़ते हैं, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की धारा-4 के अंतर्गत एक ही संव्यवहार के होने के नाते सुसंगत परिलक्षित होते हैं। अतः घटना के संबंध में हुई कार्यवाहियों एवं घटना के तथ्यों को विधिवत् रूप से साक्षी छद्दीलाल ने उसकी साक्ष्य में स्पष्ट किया है, जिसमें कोई विरोधाभास एवं संदेह उत्पन्न नहीं होता है। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क भी पोषणीय नहीं है।

20. बचाव पक्ष ने यह भी तर्क किया है कि साक्षी छद्दीलाल ने अभियुक्तगण की गिरफ्तारी का निश्चित समय याद ना होना बताया है, जो उसके कथनों पर शंका उत्पन्न करते हैं। यह अवलोकनीय है कि किसी भी अनुसंधान कार्यवाही का निश्चित समय ना बता पाने से उस व्यक्ति की संपूर्ण साक्ष्य पर संदेह उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि घटना साक्षी छद्दीलाल के न्यायालयीन कथन से 08 वर्ष पूर्व की है। साक्षी छद्दीलाल एक अशिक्षित व्यक्ति है एवं प्रकरण की लंबित अवधि को दृष्टिगत रखते हुए उसके द्वारा गिरफ्तारी की कार्यवाही का निश्चित समय ना बताना महत्वपूर्ण तथ्य नहीं है और इस तथ्य से साक्षी छद्दीलाल की संपूर्ण साक्ष्य को नजरंदाज नहीं किया जा सकता है। फलतः बचाव पक्ष को उपरोक्त तर्क से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

21. डॉक्टर ज्ञानेन्द्र सिंह पेन्ड्रो (अ.सा. 05) ने उनकी साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि दिनांक-30.01.2017 को उन्हें वन परिक्षेत्र अधिकारी, डीमरखेड़ा का पत्र क्रमांक-118 वन्य प्राणी नर चीतल के पी.एम. करने बाबत प्राप्त हुआ था। उक्त दिनांक को वन परिक्षेत्र डीमरखेड़ा द्वारा एक नर चीतल को उनके समक्ष शव परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसके परीक्षण में यह पाया गया कि उसकी मृत्यु शव परीक्षण से लगभग 24 घण्टे पूर्व हुई थी। मृत चीतल का सिर धड़ से जुड़ा हुआ था और उसके आंतरिक अंग नहीं पाए गए थे। मृत चीतल की आंख में पिन प्वाइंट हैमरेज था और गर्दन के बाएं तरफ बिजली करंट लगने के बाद जलने के निशान मौजूद


22/12/25

(पूवी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
डीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)



थे। उक्त साक्षी के अभिमतानुसार चीतल की मृत्यु विद्युत करंट लगने से हुई थी, जिसकी शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-36 है, जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

22. चिकित्सक साक्षी ने उनके प्रतिपरक्षण में यह स्वीकार किया है कि चीतल के गर्दन पर जला हुआ निशान करंट के ही कारण था, वह निश्चित नहीं बता सकते हैं, परंतु उक्त साक्षी ने स्वतः कथन में यह व्यक्त किया है कि चीतल की आंख में पिन प्वाइंट हैमरेज होना पाया था, जिस कारणवश उन्होंने उसकी मृत्यु करंट लगने से होने का अभिमत दिया है। उक्त कथन का खण्डन बचाव पक्ष ने नहीं किया है। अतः चिकित्सक साक्षी की साक्ष्य से इस तथ्य की संपुष्टि होती है कि अभियुक्तगण से जप्त मृत जानवर वन्य प्राणी चीतल का शव है, जिसके खण्डन में बचाव पक्ष ने कोई तथ्य प्रकट नहीं किया है।

23. एम.एस. भगतिया (अ.सा. 06) ने उनकी साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि दिनांक-30.01.2017 को वह उप-वनमंडल कार्यालय, कटनी में उप-वनमंडल अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने उपरोक्त दिनांक को रामफल पटेल के कथन अभियुक्त गुलजारीलाल के समक्ष लिए थे, जिसमें रामफल पटेल ने बताया था कि पूछताछ के दौरान अभियुक्त गुलजारीलाल ने बताया था कि दिनांक-28.01.2017 को रात में उसने अपने खेत में खूटी में जी.आई. तार फैलाकर बिजली करंट लगाया था और सुबह उसकी पत्नी ने बताया कि करंट लगने के कारण चीतल मरा पड़ा है, जिसके बाद गुलजारीलाल ने चीतल को दीपक यादव के साथ घसीटकर नाले के पास छिपा दिया और सोनू, दीपक, प्रमोद ने चीतल को काटा था तथा वह टीले पर बैठकर देख रहा था कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। इसी प्रकार उक्त साक्षी ने अभियुक्तगण दीपक व सोनू के समक्ष साक्षी रामफल के कथन लेखबद्ध करना बताया है, जो प्रदर्श पी-07 लगायत प्रदर्श पी-09 हैं।

24. यह उल्लेखनीय है कि साक्षी एम.एस. भगतिया के मुख्य परीक्षण के कथनों का खण्डन उनके प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है और उक्त साक्षी की साक्ष्य में कोई विरोधाभासी तथ्य समक्ष नहीं आए हैं, जो उनके द्वारा लेखबद्ध कथनों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करें।



Signature
22/1/25

(पूर्वी तिवाच)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
झरखंडा, जिला कटनी (म.प्र.)

अभियुक्तगण द्वारा साक्षी रामफल पटेल को बताए गए तथ्यों का विस्तृत उल्लेख अभियोजन साक्षी एम.एस. भगतिया ने उनके मुख्य परीक्षण में किया है, जिस पर बचाव पक्ष द्वारा उक्त कथनों के खण्डन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः श्री एम.एस. भगतिया के न्यायालयीन कथनों की पुष्टि अन्य अभियोजन साक्षीगण के साक्ष्य से होती है, जो घटना के समय मौके पर उपस्थित थे तथा उनकी साक्ष्य में कोई विरोधाभास प्रदर्शित नहीं होता है।

25. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-50(8) एवं (9)

यह उपबंधित करती है कि—“तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे अधिकारी को, जो वन्य जीव संरक्षण सहायक निदेशक की पंक्ति के नीचे का न हो या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को, जो सहायक वनपाल की पंक्ति से नीचे का न हो, इस अधिनियम के किसी उपबंध के विरुद्ध किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियां होगी—

(क) तलाशी वारंट जारी करना

(ख) साक्षियों को हाजिर करना

(ग) दस्तावेजों और तात्त्विक पदार्थों के प्रकटीकरण और उनके पेश किए जाने के लिए विवश करना

(घ) साक्ष्य ग्रहण करना और अभिलिखित करना।

इसी प्रकार धारा-50(9) के अनुसार— उपधारा (8) के खण्ड (घ) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी पश्चातवर्ती विचारण में ग्राह्य होगा, परन्तु यह तब जबकि उसे अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में लिया गया हो।

26. यदि उपरोक्त प्रावधान के आलोक में हस्तगत प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखा जाए, तो यह स्पष्ट है कि श्री एम.एस. भगतिया (अ. सा.-06) द्वारा ए.सी.एफ. (उप-वनमण्डल अधिकारी) की हैसियत से प्रत्येक अभियुक्त की उपस्थिति में साक्षी रामफल पटेल के कथन लेखबद्ध किए थे और उक्त प्रपत्रों में विधिवत् रूप से अभियुक्तगण व साक्षी रामफल पटेल के हस्ताक्षर अंकित हैं। श्री एम.एस. भगतिया द्वारा अभियुक्तगण की उपस्थिति में लेखबद्ध किए गए साक्षीगण के कथन धारा-50(8)(घ) के अन्तर्गत होकर


22/12/25


(पूवी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
श्रीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

दिल्ली
2025

विधिसम्मत हैं। इसी प्रकार उपधारा-(9) के अनुसार धारा-50(8)(घ) के अधीन अभिलिखित साक्ष्य पश्चात्वर्ती विचारण में ग्राह्य है, क्योंकि उक्त कथन अभियुक्तगण की उपस्थिति में लेखबद्ध किए गए थे। वर्तमान मामले में बचाव पक्ष द्वारा ऐसे कोई ठोस आधार दर्शित नहीं किए गए हैं, जो धारा-50(8)(घ) के अन्तर्गत साक्षी रामफल पटेल के लेखबद्ध कथनों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न करें। श्री एम.एस. भगतिया द्वारा साक्षीगण के लेखबद्ध कथनों को उन्होंने स्वयं की साक्ष्य में विधिवत् रूप से प्रदर्शित कर विस्तृत विवरण किया है, जिसका खण्डन उनके प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अभिलेख पर उपलब्ध अभियुक्तगण की उपस्थिति में लेखबद्ध साक्षी रामफल पटेल के कथन विचारण में ग्राह्य योग्य हैं तथा धारा-50(8)(घ) एवं (9) के परिपालन में सुसंगत एवं विधिपूर्ण है।

27. इस संबंध में न्यायदृष्टांत योगेश एवं अन्य विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य 2003 बॉम्बे सी.आर. 182 बॉम्बे अवलोकनीय है, जिसमें माननीय न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि धारा-50(8) एवं (9) सामान्य नियम के अपवाद हैं तथा अभिलेख पर आई साक्ष्य यह साबित करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए कि सक्षम अधिकारी द्वारा साक्षीगण के कथन स्वेच्छयापूर्वक अभियुक्त की उपस्थिति में लेखबद्ध किए गए हैं। इसी प्रकार न्यायदृष्टांत सज्जन सिंह विरुद्ध राज्य 1960 जे.एल.जे. एस.एन. 108 में माननीय वरिष्ठ न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि—"The Statements recorded before the authorised officer by themselves becomes a substantive piece of evidence when the conditions laid down in Section-50(8) and (9) are fulfilled." उक्त न्यायदृष्टांत में पारित विधि का अनुसरण मोतीलाल विरुद्ध सी.बी.आई. एवं अन्य निर्णीत दिनांक 09.04. 2002 में भी किया गया है।

28. हस्तगत प्रकरण में बचाव पक्ष ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जो यह इंगित करें कि ए.सी.एफ. श्री एम.एस. भगतिया द्वारा डर, दबाव, बिना स्वेच्छयापूर्वक साक्षी रामफल पटेल के कथन लेखबद्ध किए गए थे अथवा उक्त कथन अभियुक्तगण की उपस्थिति में लिए गए थे। उक्त कथनों का कोई खण्डन बचाव पक्ष ने नहीं किया है और ना ही स्वयं के समर्थन में उक्त कथनों की अविश्वसनीयता के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत


22/12/17
(पूर्वा तयारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
कीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)



की है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के पालन में वर्तमान प्रकरण में अभिलिखित साक्षी रामफल पटेल की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होकर, विचारण में ग्राह्य योग्य है।

29. इसी क्रम में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा-57 अतिमहत्वपूर्ण होकर प्रकरण में सुसंगत है, जिसके अनुसार—“जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए किसी अभियोजन में यह सिद्ध हो जाता है कि किसी व्यक्ति के कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में कोई बंदी प्राणी, प्राणी-वस्तु, मांस, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पत्ति है, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित नहीं हो जाता है और जिसे साबित करने का भार अभियुक्त पर होगा, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसा व्यक्ति, ऐसे बंदी प्राणी, प्राणी-वस्तु, मांस, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी, विनिर्दिष्ट पादप या उसका भाग या व्युत्पत्ति का विधिविरुद्ध कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण रखता है।” इस प्रावधान को Principle of Reverse Burden से भी संबोधित किया जाता है।


30. अर्थात् यदि अभियुक्तगण के आधिपत्य से किसी वन्य प्राणी के शव की जप्ती होती है, तब ऐसी स्थिति में उक्त वन्य प्राणी का शव अभियुक्त के आधिपत्य में क्यों और किस प्रकार आया, इसे सिद्ध करने का भार अभियुक्त पर होगा। इस संबंध में न्यायदृष्टांत वाईल्ड लाईफ बनाम अशोक कुमार एवं अन्य सी.सी. संख्या 301845/16-17 में माननीय न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करना होगा कि अभियुक्त किसी पशु के किसी भाग या जानबूझकर उस पर कब्जा/हिरासत या नियंत्रण में पाया गया था और जब तक इसके विपरीत साबित नहीं हो जाता, जिसे अभियुक्त द्वारा साबित किया जाना है, ऐसे व्यक्ति की हिरासत को गैर-कानूनी हिरासत माना जाएगा और यदि अभियुक्त अधिनियम की धारा-57 की उपधारणा को खारिज करने के भी कोई सबूत पेश नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त की दोषसिद्धि उचित है।

31. हस्तगत प्रकरण के तथ्यों को यदि दृष्टिगत रखा जाए, तो अभियुक्तगण गुलजारीलाल, दीपक, सोनू एवं प्रमोद ने ऐसा कोई स्पष्टीकरण



(पूर्वा तवारा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
झीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)



प्रस्तुत नहीं किया है, जो यह इंगित करे कि वन्य प्राणी चीतल का शव उनके आधिपत्य में क्यों और किस प्रकार था। अतः अभियुक्तगण ने धारा-57 के अधीन सबूत के भार को उन्मोचित नहीं किया है।

32. बचाव पक्ष का यह तर्क है कि प्रकरण में कोई भी स्वतंत्र साक्षी को सम्मिलित नहीं किया गया है, जिस कारणवश वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी गई साक्ष्य हितबद्ध साक्षियों की श्रेणी में आती है। इस संबंध में यह अवलोकनीय है कि वन और वन्य प्राणियों संबंधी अपराध को साबित करने हेतु स्वतंत्र साक्ष्य की समर्थन साक्ष्य होने पर बल देना पाण्डित्य नहीं है। विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी साक्ष्य पर तब तक भरोसा नहीं करना चाहिए, जब तक उसकी कोई समर्थन साक्ष्य नहीं हो। किसी मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों की यह अपेक्षा रहती है कि यदा-कदा ऐसी साक्ष्य का समर्थन साक्ष्य के अभाव में ही निर्भर रहकर विचार किया जाए, क्योंकि जंगल एक ऐसा क्षेत्र है, जहां मानव गतिविधियां कम रहती हैं। वन के आक्रमणकारी तथा वन्य प्राणी के शिकारी इस ओर सतर्क रहते हैं, जिससे उनकी घुसपैठ की तकनीक उजागर नहीं हो जाए। वह अपनी गतिविधियों को गुप्त रखने के लिए युक्तियां अपनाते हैं। इसलिए वन और वन्य प्राणियों से संबंधित अपराध के प्रमाण हेतु स्वतंत्र साक्ष्य के समर्थन पर बल देना युक्तिसंगत नहीं है।

33. इस विषय पर न्यायदृष्टांत रामस्वरूप विरुद्ध राज्य, दिल्ली एन.सी.टी. सरकार क्रिमिनल अपील नंबर 1327/2010 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि "We may note here with profit that there is no absolute rule that police officers cannot be cited as witnesses and their depositions should not be outrightly rejected. Similarly in State of UP Vs Anil Singh, the Court took note of the fact that generally the public at large are reluctant to come forward to depose before the court and, therefore, the prosecution case cannot be doubted for non-examining the independent witnesses."

34. इसी प्रकार न्यायदृष्टांत करमजीत सिंह विरुद्ध राज्य ए.आई. आर. 2003 एस.सी. 1311 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारित


 (पूर्वी तिवारी)
 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 बीमरखेड़ा, जिला कटकी (म.प्र.)



किया गया है कि विधि इस बात को बिल्कुल स्पष्ट है कि विभागीय गवाह उतने ही भरोसेमंद और विश्वसनीय होते हैं, जितने कोई अन्य स्वतंत्र साक्षी हो सकते हैं। विभागीय गवाहों को किसी अन्य गवाह के समान ही माना जाना चाहिए और विधि का कोई सिद्धांत नहीं है कि पुष्टि के बिना उनकी भी गवाही पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उचित आधार के बिना विभागीय गवाहों की साक्ष्य पर अविश्वास और संदेह करना उचित दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए स्वतंत्र साक्षी की साक्ष्य के अभाव में भी अभियोजन पक्ष पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः उपरोक्त न्यायदृष्टांतों में प्रतिपादित विधि के पालन में स्वतंत्र साक्षियों की साक्ष्य के अभाव से भी बचाव पक्ष को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

35. यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में वन अधिकारियों की उपस्थिति एवं उनके समक्ष वनपरिक्षेत्र अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के लिए गए कबूलियतनामा बयान धारा-25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधान के अंतर्गत नहीं आती है, क्योंकि न्यायदृष्टांत **फारेस्ट रेंज ऑफिस विरुद्ध अबू बकेर एवं अन्य निर्णीत दिनांक 14.03.1989** में माननीय केरल उच्च न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि—"The admissibility of the confession made to the Forest Range Officer is not open to doubt since the embargo contained in Section-25 of the Evidence Act is not applicable to it. Forest officers, though they are invested with some of the police powers, are not police officers. Hence they can give evidence before court regarding persons who were then in custody. If the court considers such confession to be reliable, there is no legal bar in acting on such confession." अतः यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण में वन अधिकारियों द्वारा अभियुक्तगण की संस्वीकृति (कबूलियतनामा) के संबंध में की गई कार्यवाहियां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-25 के प्रावधान से बाधित नहीं होती हैं। परिणामस्वरूप संस्वीकृति (कबूलियतनामा) के संबंध में की गई समस्त कार्यवाहियां, यदि न्यायालय उन्हें विश्वसनीय पाती है, तो वह वैध एवं विधिपूर्ण होकर साक्ष्य में ग्राह्य योग्य हैं, जिन्हें अन्य स्वतंत्र समर्थनकारी साक्ष्य से संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है।

Shyam
22/12/25

(पूर्वी तिवारी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
झीमरखेड़ा, जिला कटकी (म.प्र.)

36. यह निर्विवादित है कि वन्यप्राणी चीतल अत्यधिक सरल एवं सीधा प्रवृत्ति का प्राणी है, जो मुख्य रूप से झुंठ में निवास करता है। चीतल को चित्तीदार हिरण या अक्षीय हिरण भी कहा जाता है और यह हिरण की एक प्रजाति का वन्यप्राणी है। वर्तमान समय में भारत देश में मुख्य रूप से कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में चीतल की संख्या में गिरावट पायी गयी है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त गुलजारीलाल द्वारा जी.आई. तार के माध्यम से स्वयं के खेत में करंट फैलाकर चीतल की हत्या करना और शेष अभियुक्तगण द्वारा चीतल की टांगों और शरीर को काटना, अभियुक्तगण के दुःसाहस और उनके निर्दयता, क्रूरता व निष्ठुरता को दर्शित करता है।

37. शव परीक्षण में मृत वन्यप्राणी चीतल का शव नर चीतल का होना पाया गया है, जिससे इस तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है कि अभियुक्तगण के उक्त कृत्य से मासूम मृत चीतल का संपूर्ण परिवार तितर-बितर होकर व्यथित एवं पीड़ाग्रस्त हो गया होगा और इसका बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव भी उसके परिवार पर पड़ा होगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिये कि मूक वन्यप्राणियों के भी परिवार होते हैं, जिन्हें कोई भी संसाधन मनुष्य के भांति प्राप्त नहीं होते हैं। उक्त वन्यप्राणी स्वयं की भावनाओं को प्रकट करने में असमर्थ होते हैं, किन्तु इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि उन्हें भी स्वयं के परिवार के सदस्य से विच्छेदित होने पर कष्ट होता है और उनकी भावनाएं भी आहत होती हैं।

38. जिस प्रकार वर्तमान समय में वन संपदाओं एवं वृक्षों को नष्ट किया जा रहा है, इसका अत्यधिक दुष्प्रभाव वन्यप्राणियों पर पड़ रहा है, क्योंकि वन्यप्राणियों का गृह निवास वन है, जिसे मनुष्यों द्वारा स्वयं के हितों एवं स्वार्थ के कारण नष्ट किया जा रहा है। किसी भी प्राणी के आवास को यदि क्षति पहुंचाई जाती है, तो इससे उसका संपूर्ण परिवार संतप्त होकर आवासहीन हो जाता है। वन्यप्राणियों द्वारा हम नागरिकों से उनके संरक्षण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं की जाती है। वन्यप्राणी बहुत ही सरल प्रवृत्ति के होते हैं और उनके द्वारा जब तक कोई प्रत्यक्ष व विशिष्ट खतरा ना हो, तब तक कोई जनहानि भी नहीं पहुंचाई जाती है। अतः ऐसे वन्यप्राणियों को संरक्षित करना हमारा परम दायित्व है और यदि वन्य प्राणियों का किसी भी प्रकार से आखेट व आखेट का प्रयत्न किया


22/12/25
(पूर्व) तिथि (पू.)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बीमरखेड़ा, जिला कटकी (म.प्र.)



जाता है, तो यह नैतिकता व मानवता के मूल्यों के विपरीत होकर गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है।

39. वर्तमान समय में न्यायालय के समक्ष वन्य प्राणियों के संरक्षण, उनके विरुद्ध घटित अपराध का शीघ्र विचारण एवं ऐसे अपराधियों के प्रति दण्डात्मक कार्यवाही किया जाना सर्वाधिक बड़ी चुनौती है, जिस संबंध में न्यायालय को पुष्टि के नियम का दृढ़तापूर्वक पालन करते हुए, वन्य प्राणियों के संरक्षण विधि के उद्देश्य को विफल होने की संभावना से बचना चाहिए। आज के युग में एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते सभी का यह कर्तव्य है कि वह प्रकृति से छेड़छाड़ न करते हुए, वन एवं वन्य प्राणी संपदा को संरक्षित करने का संकल्प लें और उनके प्रति हुए अपराधों के विरुद्ध आवाज उठाएं। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो शीघ्र ही दुर्लभ वन्य प्रजातियां विलुप्त हो जाएंगी, जिसकी प्रतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं होगी। परिणामस्वरूप उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 एवं 02 अभियुक्तगण के विरुद्ध "प्रमाणित" निष्कर्षित किये जाते हैं।

अंतिम आदेश

40. परिणाम स्वरूप अभियोजन अपना मामला अभियुक्तगण गुलजारी, दीपक, सोनू एवं प्रमोद के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहे हैं कि अभियुक्त गुलजारीलाल ने दिनांक-28.01.2017 को रात्रि लगभग 11:00 बजे, आरक्षी केन्द्र ढीमरखेड़ा अन्तर्गत ग्राम खिरवा पौड़ी स्थित स्वयं के खेत में अनुसूची-03 में विनिर्दिष्ट वन्यप्राणी चीतल का खेत पर जी.आई. तार से बिजली करंट फैलाकर आखेट किया एवं अभियुक्तगण गुलजारीलाल, सोनू, दीपक एवं प्रमोद दिनांक-29.01.2017 को शाम लगभग 06:15 बजे, उक्त स्थान पर अनुसूची-03 में विनिर्दिष्ट वन्यप्राणी चीतल के शव के आधिपत्य में होना पाए गए।

41. अतः अभियुक्त गुलजारीलाल को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-9, 39 सहपठित धारा-51 एवं अभियुक्तगण सोनू, दीपक एवं प्रमोद को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा-39 सहपठित धारा-51 के अधीन दंडनीय अपराध के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए **दोषसिद्ध**



(पूवी तिवारी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)



किया जाता है।

42. अभियुक्तगण को अपराधी परीवीक्षा अधिनियम, 1958 के प्रावधान का लाभ देने के संबंध में विचार किया गया। यद्यपि यह उनका प्रथम अपराध है, परंतु वन्य प्राणी संबंधी अपराध गंभीर प्रकृति का अपराध है और ऐसे अपराधों के लिए परीवीक्षा का लाभ देना, पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण के सिद्धांतों के विपरित होगा। अतः अभियुक्तगण परीवीक्षा का लाभ पाने के पात्र नहीं हैं। अर्थात् अभियुक्तगण को परीवीक्षा का लाभ न देते हुए दंड के प्रश्न पर सुनने हेतु निर्णय अस्थाई रूप से स्थगित किया जाता है।

(पूर्वी तिवारी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
ढीमरखेड़ा, जिला-कटनी (म.प्र.)

पुनश्च:-

43. दण्डाज्ञा पर अभियोजन तथा अभियुक्तगण को सुना गया। अभियुक्तगण के अधिवक्ता का यह तर्क है कि यह अभियुक्तगण का प्रथम अपराध है एवं वह अपने घर के एक मात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं, इसलिये उन्हें कम से कम दण्ड दिये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत अभियोजन ने अभियुक्तगण को कठोर से कठोर दंड देने का आग्रह किया है।

44. अभिलेख पर अभियुक्तगण की पूर्व दोषसिद्धी का कोई आधार नहीं है और न ही वन विभाग की ओर से ऐसा कोई तर्क ही किया गया है, परंतु अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, वन्य प्राणियों के विरुद्ध बढ़ते अपराध, वन एवं वन्य जीव के संरक्षण के सिद्धांतों एवं प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय अभियुक्तगण गुलजारी, सोनू, प्रमोद एवं दीपक को उन पर आरोपित अपराध के अंतर्गत अधिकतम दण्ड से दण्डित करना न्यायहित में उचित व सारभूत समझती है। परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को दोषसिद्धी के फलस्वरूप निम्न सारणी अनुसार दंडित किया जाता है:-

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
ढीमरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)



क्र.	अभियुक्तगण के नाम	अपराध जिनके अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है	अधिरोपित दण्डादेश	अर्थदण्ड अदायगी में व्यतिक्रम की दशा में कारावास
01.	गुलजारीलाल पिता जगन्नाथ यादव	धारा-9, 39 सहपठित धारा-51 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972	धारा-51(1) के अधीन प्रत्येक धारा के अंतर्गत 03-03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं प्रत्येक अपराध हेतु 10,000-10,000 /- रुपये (दस-दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड। इस प्रकार अभियुक्त पर अधिरोपित कुल अर्थदण्ड 20,000 /- रुपये (बीस हजार रुपये)	03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास
02	दीपक पिता गुलजारीलाल यादव	धारा-39 धारा-51 वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972	धारा-51(1) के अधीन 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10,000 /- रुपये (दस हजार रुपये) के अर्थदण्ड।	यथोक्त
03	सोनू पिता कोदूलाल भूमिया	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त
04	प्रमोद पिता बेड़ीलाल भूमिया	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त



(Handwritten Signature)
22/12/17

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मीरखेड़ा, जिला कटनी (म.प्र.)

अभियुक्तगण पर अधिरोपित कुल अर्थदण्ड राशि—	50,000 /—रु. (पचास हजार रूपये)
--	--------------------------------

45. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके निरस्त किये जाकर उन्हें निरोध में लिया जाकर, कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु सजा का सजा वारंट बनाया जाये एवं जिला जेल कटनी भेजा जावे।

46. अभियुक्तगण गुलजारीलाल, सोनू एवं दीपक दिनांक 30.01.2017 से दिनांक 06.02.2017 तक कुल 07 दिन एवं अभियुक्त प्रमोद दिनांक 20.02.2017 से 21.02.2017 तक कुल 01 दिन अनुसंधान एवं विचारण के दौरान निरोध अवधि में रहे हैं। इस संबंध में धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रमाणपत्र पृथक से तैयार किया जावे जो निर्णय का भाग होगा। अभियुक्तगण द्वारा बिताई गयी निरोध अवधि को उनकी मूल सजा में समायोजित किया जावे।

47. प्रकरण में जप्तशुदा कुल्हाड़ी, बरगद की लकड़ी, जी.आई. तार एवं बांस की लकड़ी, लोहे का बका अपील अवधि पश्चात् नष्ट किए जावें अथवा अपील होने की दशा में जप्तशुदा संपत्तियों का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा किया जावे।

निर्णय दिनांकित व हस्ताक्षरित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।



[Handwritten Signature]
(पूर्वी तिवारी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
डीमरखेड़ा, जिला—कटनी (म.प्र.)

[Handwritten Signature]
(पूर्वी तिवारी)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
डीमरखेड़ा, जिला—कटनी (म.प्र.)